# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–4/25605/2018–19 दिनांक 25.05.2018 द्वारा 145 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप ऑफिस आईडी एवं पदों का आवंटन किया गया था ।

उक्त आदेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018–19 दिनांक 29.05.2018 द्वारा कॉलम संख्या 4 में वर्णित राउप्रावि से क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित किया गया था तदुपरान्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/माध्य/अ–1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2016–17 दिनांक 27.06.2018 द्वारा कॉलम संख्या 4 में वर्णित विद्यालयों के नाम संशोधन की स्वीकृति जारी की गई । अतः मैं ब्रह्मदत्त शर्मा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम संख्या 5 में वर्णितानुसार क्रमोन्नत विद्यालयों को संशोधित नाम से कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता हूँ ।

| क्र.सं. | सूची में क्र.सं. | ऑफिस आईडी | पूर्व आदेश में अंकित विद्यालय का नाम | विद्यालय का संशोधित नाम | जिला |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 34726 | GSS, MUGDARA (RIYAN) | GSS PHALKI (RIYAN) | NAGAUR |
| 2 | 53 | 34684 | GSS JOGIWARA (DOVDA) | GSS, JOGIWARA (SABLA) | DUNGARPUR |

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018–19

दिनांकः 05.09.218

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/उपकोष ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग ।
7. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी 5/9/18
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–4/25605/2018–19 दिनांक 25.05.2018 द्वारा 202 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप ऑफिस आईडी एवं पदों का आवंटन किया गया था ।

उक्त आदेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018–19 दिनांक 29.05.2018 द्वारा कॉलम संख्या 4 में वर्णित राउप्रावि से क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित किया गया था तदुपरान्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/माध्य/अ–1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2016–17 दिनांक 27.06.2018 द्वारा कॉलम संख्या 4 में वर्णित विद्यालयों के नाम संशोधन की स्वीकृति जारी की गई । अतः मैं ब्रह्मदत्त शर्मा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम संख्या 5 में वर्णितानुसार क्रमोन्नत विद्यालयों को संशोधित नाम से कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता हूँ ।

| क्र.सं. | सूची में क्र.सं. | ऑफिस आईडी | पूर्व आदेश में अंकित विद्यालय का नाम | विद्यालय का संशोधित नाम | जिला |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 34255 | GSS, BHAIYO KI DHANI (PATODI) | GSS, BARNAWA JAGIR II SADULPURA (PATODI) | BARMER |

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018–19 दिनांकः 05.09.218

प्रतिलिपिः
1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/उपकोष ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग ।
7. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी 5/9/18
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ब्रह्मदत्त शर्मा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 03 राउप्रावि को रामावि में इस कार्यालय के पत्र कमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–4/25605/2018–19/313 दिनांक 14.08.2018 के साथ संलग्न सूची में अंकित शालाओं के लिए पद एवं राशि का आवंटन किया गया है, इन शालाओं के लिए संस्था प्रधानों को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ । समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे तथा विशेष रूप से इन्हे निम्नांकित कार्य करने के लिए इन्हे अधिकृत करता हूँ :–

1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित /अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना ।
2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि का व्यय करना ।
5. वित्तीय नियमों एवं समय –समय पर जारी किये गये आदशों के अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना ।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना ।
7. उचित प्राप्तकर्त्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे ।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के कमांक–2 के तहत इन्हे स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है ।

संलग्नः सूची

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

कमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018–19 दिनांकः 05.09.218

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत 03 विद्यालयों में स्वीकृत पदो एव 01–संवेतन में राशि का आवंटन वर्ष 2018–19

| क्रम संख्या | ऑफिस आईडी | विद्यालय का नाम | जिला | प्रधानाध्यापक (L-14) | वरिष्ठ अध्यापक (L-11) | शारीरिक शिक्षक श्रेणी III (L-10) | अध्यापक (L-10) | कनिष्ठ सहायक (L-5) | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (L-1) | लेखामद | 01–संवेतन आवंटित राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35331 | GSS, HINJRASAR (BHAKTAWARPURA) | SRIGANGANAGAR | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2202-02-109-01-00 SF | 5.00 |
| 2 | 35333 | GSS, THIKRIYAN KALA (DEOLI) | TONK | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2202-02-789-01-01 SF | 5.00 |
| 3 | 35336 | GSS, BAS KHAROLAN (TODARAISINGH) | TONK | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2202-02-789-01-01 SF | 3.00 |
| | | | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202-02-109-01-00 SF | 2.00 |
| TOTAL | | | | 3 | 18 | 3 | 12 | 3 | 3 | | 15.00 |

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / मा / बजट / बी–4 / 25605 / 2018–19 / 313 दिनांक :– 14/08/2018

प्रधानाध्यापक,
रा.मा.वि. / रा.बा.मा.वि.
..............................................

विषयः— 03 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप पदों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19

प्रसंग :— राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(6)शिक्षा–1 / 2016 पार्ट दिनांक 05.07.2018 एवं इस कार्यालय का आदेश क्रमांक शिविरा–मा / माध्य / अ–1 / 21310 / स्टाफिग पैटर्न / 2017–18 दिनांक 07.08.2018

——0——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशों के क्रम में 03 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप विभाग के संलग्न सूची अनुसार क्रमोन्नत विद्यालयों को स्वीकृत पदों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु करते हुए **ऑफिस आईडी का आवंटन भी किया जाता है।** क्रमोन्नत विद्यालयों को सम्बन्धित लेखामद के विस्तृत मद 01–संवेतन में राशि का आवंटन कर दिया गया है। अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन मांग की जावे। आवंटित पदों का मिलान **बजट मद सहित आईएफएमएस के अनुसार** शाला दर्पण से कर लिया जावे एवं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अवगत कराया जावे ताकि त्रुटि का सुधार किया जा सके।

**संलग्नः—** उपरोक्तानुसार।

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / मा / बजट / बी–4 / 25605 / 2018–19 / 313 दिनांक :– 14/08/2018

**प्रतिलिपिः–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट (सं. निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्य.), कार्यालय हाजा को प्रासंगिक आदेशों के क्रम में।
5. उप निदेशक, माध्यमिक / योजना अनुभाग।
6. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, ........................
7. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय), ........................
8. लेखाधिकारी, पेंशन स्थिरीकरण अनुभाग कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त विद्यालयों को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की कार्यवाही करावें।
9. अनु. अधि., शाला दर्पण अनु., कार्यालय हाजा को शाला दर्पण में आवश्यक संशोधन करवाने हेतु।
10. प्रभारी, बी–5 प्रभाग, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रभाग (बजट अनुभाग), कार्यालय हाजा को IFMS पर ऑनलाईन करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर